न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 265/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/361)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुख्त्यारेआम नायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर।		1. सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. वीरपाल कौर पुत्री सुरजन सिंह पत्नी जग सिंह जाति जटसिख निवासी चहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 17.08.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- **दिनांकः 30.04.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.121 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.243 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.821 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.955 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.910 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर वादी की सगी चाची व प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर वादी की भुआ है। वादी के पिता नायब सिंह, चाचा अजायब सिंह द्वारा एक ही परिवार की संयुक्त आय से अपने-अपने नाम भूमि खरीद की गई थी। आज से कुछ वर्ष पूर्व वादी के पिता नायब सिंह व चाचा अजायब सिंह, भुआ वीरपाल कौर ने परिवार में बैठकर, आपसी सहमति से पारिवारिक सम्पति विभाजन करते हुए, उक्त समस्त भूमि नायब सिंह के पुत्र वादी सुपेन्द्र सिंह को घरू बंटवारा में दे दी गयी थी और उक्त भूमि का कब्जा भी सुपेन्द्र सिंह के परिवार को सौप दिया गया था। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए कई बार कहा, परन्तु प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.121 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.243 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 101/101 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.955 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर, उक्त भूमि का वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा सामिल मिसल किया गया। वादी सुपेन्द्र सिंह जरिए मुख्त्यारेआम नायब सिंह व प्रतिवादीगण सुखविन्द्र कौर, वीरपाल कौर ने न्यायालय में उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा के अनुसार पारिवारिक सदस्यों व रिशतेदारों के द्वारा हमारा राजीनामा करवाकर यह तय पाया है कि पूर्व की भांति वर्ष 2020 में हुए सम्पति विभाजन के अनुसार वीरपाल कौर, सुखविन्द्र कौर अपने नाम से दर्ज चक 3 एक्स के खाता संख्या 100/100 व खाता संख्या 101/101 की भूमि अपने भतीजे सुपेन्द्र सिंह के पक्ष में छोडेगी तथा सुपेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में समझौतानामा पेश कर, उक्त वादपत्र की डिक्री वादी सुपेन्द्र सिंह के पक्ष में करवायेगी। सुखविन्द्र कौर व वीरपाल कौर उक्त भूमि के संबध में किसी प्रकार से कोई राशि या अन्य मांग भविष्य में नहीं करेगी। सुखविन्द्र कौर व वीरपाल कौर उक्त भूमि के संबध में आज रोज अपने समस्त अधिकार सुपेन्द्र सिंह को निहित करती है। अतः समझौतानामा पेश कर अर्ज है कि वादी सुपेन्द्र सिंह का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझौतानामा दोनों

Signature Not Ver
Digitally signed by Shy
Date: 2025.09.04 12:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में समझौतानामा पेश किया जा चुका है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायमी की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक वादपत्र स्वीकार किया जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 101/101 की छायाप्रति व दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.121 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 0.243 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.821 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.955 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि को वर्ष 2020 के पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा पेश किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में हुए सम्पति विभाजन के अनुसार वीरपाल कौर, सुखविन्द्र कौर अपने नाम से दर्ज चक 3 एक्स के खाता संख्या 100/100 व खाता संख्या 101/101 की भूमि अपने भतीजे सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह के पक्ष में छोडेगी। लिहाजा माफिक समझौतानामा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.121 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 0.243 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.821 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.955 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि को वादी सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली [illegible] लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shy
Date: 2025.09.04 12:26
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सुपेन्द्र सिंह बनाम सुखविन्द्र कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88,91,209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 265/2023

निर्णय दिनांक :- 30.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.121 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 0.243 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.821 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.955 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के नाम दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि को वादी सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 30.04.20[illegible]

क्रमांक: रीडर/2024/161
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री [illegible] पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verifi[illegible]
Digitally signed by Shyo[illegible]
Date: 2025.09.04 12:26:
Reason: SelfAttested